

बिहार विधान सभा सचिवालय

सप्तदश बिहार विधान सभा का चतुर्थ सत्र
दिनांक 10 मार्च, 2025

की

कार्य-सूची

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के तृतीय अनुपूरक
व्यय विवरण से संबंधित
कटौती प्रस्ताव

माँग संख्या-01

आय-व्ययक शीर्षक-कृषि विभाग

1. **प्रभारी मंत्री**, कृषि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "कृषि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 18,52,80,000/- (अठारह करोड़ बावन लाख अस्सी हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

2. **श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की कृषि नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-02

आय-व्ययक शीर्षक-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

3. **प्रभारी मंत्री**, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 169,48,69,000/- (एक सौ उनहत्तर करोड़ अड़तालीस लाख उनहत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

4. **श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की पशु एवं मत्स्य संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-03

आय-व्ययक शीर्षक-भवन निर्माण विभाग

5. **प्रभारी मंत्री**, भवन निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "भवन निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 98,00,98,000/- (अठानवे करोड़ अठानवे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

6. **श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की भवन निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-04

आय-व्ययक शीर्षक-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

7. **प्रभारी मंत्री**, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 39,24,75,000/- (उनचालीस करोड़ चौबीस लाख पचहत्तर हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-07

आय-व्ययक शीर्षक-निगरानी विभाग

8. **प्रभारी मंत्री**, निगरानी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "निगरानी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,09,00,000/- (एक करोड़ नौ लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-09

आय-व्ययक शीर्षक-सहकारिता विभाग

9. **प्रभारी मंत्री**, सहकारिता विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सहकारिता विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 139,39,55,000/- (एक सौ उनचालीस करोड़ उनचालीस लाख पचपन हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

10. **श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की सहकारिता नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-10

आय-व्ययक शीर्षक-ऊर्जा विभाग

11. **प्रभारी मंत्री**, ऊर्जा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 'ऊर्जा विभाग' के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 551,17,30,000/- (पाँच सौ ईक्यावन करोड़ सत्रह लाख तीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

12. **श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की ऊर्जा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-12

आय-व्ययक शीर्षक-वित्त विभाग

13. **प्रभारी मंत्री**, वित्त विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 'वित्त विभाग' के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 4,48,20,000/- (चार करोड़ अड़तालीस लाख बीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-16

आय-व्ययक शीर्षक-पंचायती राज विभाग

14. **प्रभारी मंत्री**, पंचायती राज विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 'पंचायती राज विभाग' के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 289,50,00,000/- (दो सौ नवासी करोड़ पचास लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-18

आय-व्ययक शीर्षक-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

15. प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 104,67,09,000/- (एक सौ चार करोड़ सड़सठ लाख नौ हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

16. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-19

आय-व्ययक शीर्षक-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

17. प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 79,37,12,000/- (उनासी करोड़ सैंतीस लाख बारह हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-20

आय-व्ययक शीर्षक-स्वास्थ्य विभाग

18. प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "स्वास्थ्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1693,08,28,000/- (एक हजार छः सौ तिरानवे करोड़ आठ लाख अट्ठाइस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

19. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार की स्वास्थ्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-21

आय-व्ययक शीर्षक-शिक्षा विभाग

20. **प्रभारी मंत्री**, शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "शिक्षा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1538,25,86,000/- (एक हजार पाँच सौ अड़तीस करोड़ पच्चीस लाख छियासी हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

21. **श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-22

आय-व्ययक शीर्षक-गृह विभाग

22. **प्रभारी मंत्री**, गृह विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गृह विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 422,97,41,000/- (चार सौ बाइस करोड़ सतानवे लाख इकतालीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-23

आय-व्ययक शीर्षक-उद्योग विभाग

23. **प्रभारी मंत्री**, उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 333,31,94,000/- (तीन सौ तैंतीस करोड़ इकतीस लाख चौरानवे हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 24-25. **श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री अजीत शर्मा** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की उद्योग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-26

आय-व्ययक शीर्षक-श्रम संसाधन विभाग

26. प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "श्रम संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 7,93,36,000/- (सात करोड़ तिरानवे लाख छत्तीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

27. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की श्रम संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-27

आय-व्ययक शीर्षक-विधि विभाग

28. प्रभारी मंत्री, विधि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विधि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 6,50,00,000/- (छः करोड़ पचास लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-29

आय-व्ययक शीर्षक-खान एवं भूतत्व विभाग

29. प्रभारी मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खान एवं भूतत्व विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,50,00,000/- (एक करोड़ पचास लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-30

आय-व्ययक शीर्षक-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

30. **प्रभारी मंत्री**, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "अल्पसंख्यक कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 6,60,83,000/- (छः करोड़ साठ लाख तेरासी हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

31. **श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-31

आय-व्ययक शीर्षक-संसदीय कार्य विभाग

32. **प्रभारी मंत्री**, संसदीय कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "संसदीय कार्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2,00,000/- (दो लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-32

आय-व्ययक शीर्षक-विधान मंडल

33. **प्रभारी मंत्री**, संसदीय कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विधान मंडल" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 3,18,50,000/- (तीन करोड़ अठारह लाख पचास हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-33

आय-व्ययक शीर्षक-सामान्य प्रशासन विभाग

34. **प्रभारी मंत्री**, सामान्य प्रशासन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सामान्य प्रशासन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 45,78,50,000/- (पैंतालीस करोड़ अठहत्तर लाख पचास हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-35

आय-व्ययक शीर्षक-योजना एवं विकास विभाग

35. **प्रभारी मंत्री**, योजना एवं विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "योजना एवं विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 5,81,62,000/- (पाँच करोड़ इक्यासी लाख बासठ हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-36

आय-व्ययक शीर्षक-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

36. **प्रभारी मंत्री**, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 80,00,00,000/- (अस्सी करोड़) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

37. **श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-37

आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण कार्य विभाग

38. प्रभारी मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण कार्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 762,25,00,000/- (सात सौ बासठ करोड़ पच्चीस लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

39. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की ग्रामीण कार्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-38

आय-व्ययक शीर्षक-मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

40. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 3,38,30,000/- (तीन करोड़ अड़तीस लाख तीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मांग संख्या-39

आय-व्ययक शीर्षक-आपदा प्रबंधन विभाग

41. प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "आपदा प्रबंधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 31,68,60,000 (इकतीस करोड़ अड़सठ लाख साठ हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-40

आय-व्ययक शीर्षक-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

42. **प्रभारी मंत्री**, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 26,37,99,000/- (छब्बीस करोड़ सैंतीस लाख नित्यानवे हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

43. **श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-41

आय-व्ययक शीर्षक-पथ निर्माण विभाग

44. **प्रभारी मंत्री**, पथ निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पथ निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 620,00,00,000/- (छः सौ बीस करोड़) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

45. **श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की पथ निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-42

आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण विकास विभाग

46. **प्रभारी मंत्री**, ग्रामीण विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2938,40,00,000/- (दो हजार नौ सौ अड़तीस करोड़ चालीस लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

47. **श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की ग्रामीण विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-43

आय-व्ययक शीर्षक-विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

48. प्रभारी मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए " विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 11,99,26,000/- (ग्यारह करोड़ निम्नानवे लाख छब्बीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-44

आय-व्ययक शीर्षक-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

49. प्रभारी मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 23,17,81,000/- (तेइस करोड़ सत्रह लाख इक्यासी हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-45

आय-व्ययक शीर्षक-गन्ना उद्योग विभाग

50. प्रभारी मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गन्ना उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 21,95,50,000/- (इक्कीस करोड़ पंचानवे लाख पचास हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

51. श्री अख्तारूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार की गन्ना नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-46

आय-व्ययक शीर्षक-पर्यटन विभाग

52. प्रभारी मंत्री, पर्यटन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यटन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 56,24,00,000/- (छप्पन करोड़ चौबीस लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-48

आय-व्ययक शीर्षक-नगर विकास एवं आवास विभाग

53. प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "नगर विकास एवं आवास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 628,37,37,000/- (छः सौ अट्ठाईस करोड़ सैंतीस लाख सैंतीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

54. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की नगर विकास एवं आवास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-49

आय-व्ययक शीर्षक-जल संसाधन विभाग

55. प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 41,77,07,000/- (इकतालीस करोड़ सतहत्तर लाख सात हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-50

आय-व्ययक शीर्षक-लघु जल संसाधन विभाग

56. प्रभारी मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "लघु जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 131,71,00,000/- (एक सौ इकतीस करोड़ इकहत्तर लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

57. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की लघु जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-51

आय-व्ययक शीर्षक-समाज कल्याण विभाग

58. प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "समाज कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 247,86,29,000/- (दो सौ सैंतालिस करोड़ छियासी लाख उनतीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-52

आय-व्ययक शीर्षक-खेल विभाग

59. प्रभारी मंत्री, खेल विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खेल विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,94,70,000 (एक करोड़ चौरानवे लाख सत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

ख्याति सिंह

प्रभारी सचिव


बिहार विधान सभा, पटना।

कटीती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-04/2025- 518

/वि०स०, पटना, दिनांक- 07 मार्च, 2025 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के संबंधित माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण / अन्य मंत्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के संबंधित विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



(असीम कुमार)

निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-04/2025- 518

/वि०स०, पटना, दिनांक- 07 मार्च, 2025 ई० ।

प्रति:-निदेशक अध्यक्षीय कार्यालय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।




(असीम कुमार)

निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-04/2025- 518

/वि०स०, पटना, दिनांक- 07 मार्च, 2025 ई० ।

प्रति:- सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



(असीम कुमार)

निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना ।

